पत्रांक- 459(प्र0)/आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आर0 के0 सिंह,

प्रधान सचिव

सेवा में,

विशेष जिला पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी,

अररिया, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा एवं सहरसा।

पटना-15, दिनांक- 31/10/08

विषय: **छठ पूजा के अवसर पर सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

सरकार का यह प्रयास रहा है कि कोशी आपदा से प्रभावित परिवार जो सरकार द्वारा चलाये जा रहे राहत शिविरों में रह रहे हैं उन्हें यथा संभव अपने दिनचर्या के पालन का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाए। इसी दृष्टिकोण से राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में राहत शिविरों में रह रहे विभिन्न समुदायों के लोगों को अपने महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने के लिए भी सुविधा मुहैया कराई गई। छठ पूजा राज्य का विशेषकर उत्तर बिहार का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। उल्लेखनीय है कि जो परिवार कोशी की धारा बदलने के कारण बेघर हो गये हैं एवं सरकारी राहत शिविरों में रह रहे हैं उनके पास यह साधन नहीं बचा है कि वे छठ पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जुटा सकें। तद्नुसार राज्य सरकार द्वारा पूर्व की भांति निर्णय लिया गया है कि छठ करनेवाले परिवारों को यथा संभव आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाय। चूंकि इस मामले में कई प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकारी राहत शिविर में रह रहे छठ करनेवाले परिवारों को प्रति परिवार 250/- रुपये एक मुश्त राशि उपलब्ध करा दी जाय ताकि उससे पूजा हेतु अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त राशि मुख्य मंत्री राहत कोष से मुहैया कराई जाय। कृपया सरकारी राहत शिविरों में आवासित छठ करनेवाले परिवारों को प्रति परिवार 250/- रुपये की राशि उपलब्ध करा दी जाय एवं इसे मुख्य मंत्री राहत कोष से प्राप्त कर ली जाय।

विश्वासभाजन

31.10

(आर0 के0 सिंह)

प्रधान सचिव